न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर

(1)

मूलवाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना

करण सख्या:– 44/15 दायर दिनांक:– 18.06.2015

1. उदससिंह पुत्र स्व0 श्री किशल्ली उर्फ किशनलाल जाति जोगी निवासी मंशापुरा (अईपुर) तहसील भुसावर

——वादीगण

बनाम

1:–लक्ष्मन पुत्र रामप्रसाद जाति स्वामी (पुजारी) निवासी घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

2:–सियाराम पुत्र रामप्रसाद जाति स्वामी (पुजारी) निवासी घाटरी तहसील भुसावर जिला भरतपुर

——प्रतिवादीगण

3:–हरीराम पुत्र स्व0 श्री किशल्ली उर्फ किशनलाल जाति जोगी निवासी मंशापुरा (अईपुर) तहसील भुसावर
4:–विमला पुत्री स्व0 श्री किशल्ली उर्फ किशनलाल जाति जोगी निवासी मंशापुरा (अईपुर) तहसील भुसावर
5:–सम्पो पुत्री स्व0 श्री किशल्ली उर्फ किशनलाल जाति जोगी निवासी मंशापुरा (अईपुर) तहसील भुसावर

——तरतीवीप्रतिवादीगण

दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत् अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188
उपस्थित वादी अधिवक्ता :– श्री शान्तिस्वरूप शर्मा
उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता:– श्री देवेन्द्रशरण पाठक

डिक्री दिनांक:– 11/03/2020.

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है. तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता हैकि मृतक धर्म पुत्र भज्जू जाति जोगी निवासी मंशापुरा (अईपुर) तहसील भुसावर के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में नियमानुसार जॉच कर विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार नाम दर्ज करने की कार्यवाही करें।

यह आज दिनॉक 11.03.20 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

11/3/2020

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर

1. लक्ष्मन पुत्र रामप्रसाद } जाति खान स्वर्मी (मुसलमा)
2. छिया राम पुत्र लक्ष्मन } निवासीयान धाटयी तह० मुकाम

-- प्रतिवादीगण अपील

3. हरीराम पुत्र किशल्ले उर्फ किशनलाल } जातियान जोगी
4. विमला पुत्री किशल्ले उर्फ किशनलाल } निवासी मेथापुरा
5. समधे पुत्री किशनलाले उर्फ किशनलाल } (अईपुर) तह० मुकाम

-- तरलीवी प्रतिवादीगण।

रावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 अन्तर्गत धारा 88, 89, 128

अधिवक्ता :- श्री शांति स्वरूप शर्मा
2 श्री देवेन्द्र शरण पाठक

निर्णय दिनांक 11-3-2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं तरलीवी प्रतिवादीगण से 3, 4, 5 एवी ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। बांके ग्राम धाटयी में आ० खसरा 62 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा हैं। जिसका खातेदार। धर्म बलदे मजदूर जाति जोगी निवासी मेथापुरा तहसील मुकाम में इनमें विवाद चला आ रहा है जो मरे हुए। गोत्र से उत्पन्न है। जिसके अनुसार वादी एवं तरलीवी प्रतिवादी से० 3, 4, 5 हैं। उक्त आसामी पर वादी एवं तरलीवी प्रतिवादी से० 3, 4, 5 काफिज हक्म काश्त चले आ रहे हैं। जिसमें वादी एवं तरलीवी प्रतिवादी से० 3 व 4 बाहेलाल बसावा के काफिज काश्त मात्र एक 2 बीघा है। प्रयोक्त आसामी वादी एवं तरलीवी प्रतिवादी से० 3, 4, 5 को अपनी गाफ चर्म पुत्र मजदू से कोई अन्य दिवाल पक्ष हुई है उसमें

[illegible] Ex-1 जमाबन्दी
[illegible] Ex-2 जमाबन्दी सं. 2015 लगा. 2018
[illegible] Ex-3 तैयार की है। तथा जवाब दावे अतिरिक्त ग्राउंड सं.
[illegible] 5 को छोड़ के शेष मदें दावे की सहमाने जाहिद ही
[illegible] 10-11-19 को हमारे वकील बाबू ने मजाह कराया
कि वहीदत के अलावा भी मामला। दर्ज कराने बावत
तहसीलदार मुलत्वा के यहां जाकर प्रार्थना किया गया है इस
[illegible] तहसीलदार मुलत्वा को डीजर्ड कार्यवाही की
[illegible] व वादीगण की जांच का रिपोर्ट बावत किया
जाना। तहसीलदार मुलत्वा ने रिपोर्ट 28.6.19 रिपोर्ट
प्रस्तुत हुई कि मृतक धर्मपुत्र मजूर कोम लि० अर्दुपुत्र
लगभग 60-65 वर्ष पूर्व गांव अर्दुपुर छोड़कर ग्राम सालाया
तहसील [illegible] चला गया कराया का वादी द्वारा पुराना रिकार्ड
2015-18 उपलब्ध कराया जिसमें धर्मपुत्र मजूर कोम
जोगो मो. मेरापुरा दर्ज है।

हमने विपक्षवान आमिसायक गणों को सुना व पत्रावली
में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य वादी का अवलोकन किया
एवं अभिलेख गया की बहस पर मनन किया गया। तथा दावे
की मद सं. 1 में जो खसरा दिया गया है उसमें धर्म
पत्नि मौला कौम बताया गया है एवं ग्राम पंचायत
द्वारा दिनांक 25-6-2019 को खसरा की खसरा प्रति में धर्म
के 2 पुत्र एवं 2 पुत्री संबंधित प्रमाण-पत्र की खसरा
अंक में दर्शाये है।

[illegible]

[illegible] -3

दावा वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार मुखवा को आदेशित किया जाता है कि मृतक धर्म पुत्र मज्जू जाति जोगी निवासी अईका (मन्शापुरा) तहसील मुखवा को विधिक वारिसान के सम्बन्ध में विधिवत जांच कर विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार नाम दर्ज करने की की कार्यवाही करें। दावा वादी उपरोक्त मुल्य डिक्री किया जाता डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम हो बाद तहसील जाता दाखिल दफ्तर हो।

मन मोहन मीना
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)